

मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण का कार्यालय
जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, ब्लॉक-बी, अनिसाबाद, पटना।

पत्रांक:-शो0/अं0/परीक्षा/ /2026

प्रेषक,

महमूद आलम
मुख्य अभियंता।

सेवा में,

जन सम्पर्क पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग,
सिंचाई भवन, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :- / /2026

विषय :- प्रथम अर्द्धवार्षिक व्यवसायिक परीक्षा 2026 की सूचना प्रकाशन करने के संबंध में।
महाशय,

जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के अन्तर्गत असैनिक एवं यॉत्रिक सहायक अभियंताओं का प्रथम अर्द्धवार्षिक व्यवसायिक परीक्षा 2026, दिनांक-25.11.2026 से दिनांक-28.11.2026 तक निर्धारित की गई है। तदनुसार परीक्षा संबंधी सूचना की सात (07) प्रति आवेदन प्रपत्र के प्रारूप के साथ एवं इसकी एक सॉफ्ट कॉपी समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ संलग्न की जाती है।

कृपया सूचना का प्रकाशन बिहार के दो प्रमुख हिन्दी/अंग्रेजी एवं एक उर्दू समाचार पत्रों में लगातार दो संस्करणों में प्रकाशन की व्यवस्था की जायें।

विश्वासभाजन

अनु0 :- 1. सूचना की प्रति सात अदद।
2. आवेदन प्रपत्र का प्रारूप सात अदद।

ह०/-

(महमूद आलम)
मुख्य अभियंता।

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :- / /2026

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख, मुख्यालय/अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन/अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0 :- यथोक्त।

ह०/-

(महमूद आलम)
मुख्य अभियंता।

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :- / /2026

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता (यॉत्रिक), जल संसाधन विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण अंचल, खगौल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 :- यथोक्त।

ह०/-

(महमूद आलम)
मुख्य अभियंता।

मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण का कार्यालय
जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, अनिसाबाद, पटना-02

—: सूचना :—

जल संसाधन विभाग, बिहार के **असैनिक एवं यंत्रिक** सहायक अभियंताओं का **प्रथम** अर्द्धवार्षिक व्यवसायिक परीक्षा, 2026 हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पी0 डब्लू0 डी0 की कंडिका-55 में निहित प्रावधानों के अनुसार आवेदन-पत्र के साथ दो पासपोर्ट आकार का रंगीन अभिप्रमाणित फोटोग्राफ (जिसकी एक प्रति आवेदन-प्रपत्र पर नियंत्री पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित प्रति एवं दूसरी प्रति बिना अभिप्रमाणित किये) संलग्न होना आवश्यक है। आवेदक के हस्ताक्षर नमूना की अभिप्रमाणित प्रति, आवेदक की योग्यता/दक्षता प्रमाण-पत्र, जो नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो तथा प्रमंडलीय लेखापाल का लेखा प्रमाण-पत्र संलग्न होना आवश्यक है। किसी वांछित प्रमाण-पत्र के अभाव में आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा। आवेदन-पत्र दिनांक-14.11.2026 तक अधीक्षण अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण अंचल, खगौल, पटना के कार्यालय में प्राप्त होना अनिवार्य है। उक्त तिथि के बाद प्राप्त आवेदन-पत्र को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

प्रथम अर्द्धवार्षिक व्यवसायिक परीक्षा 2026 की अवधि दिनांक-25.11.2026 से दिनांक-28.11.2026 तक निर्धारित की गई है। इस सूचना को जल संसाधन विभाग, बिहार के वेबसाइट (www.wrd.bihar.nic.in) पर भी देखा जा सकता है।

परीक्षा-कार्यक्रम

1. **लिखित परीक्षा :-** असैनिक एवं यंत्रिक अभियंताओं की लिखित परीक्षा दिनांक-25.11.2026 से दिनांक-27.11.2026 तक शोध एवं प्रशिक्षण अंचल, शोध भवन, खगौल, पटना में प्रारंभ होगी, जिसकी अवधि तीन घंटे की होगी।
2. **मौखिक परीक्षा :-**
क-असैनिक अभियंताओं की मौखिक परीक्षा दिनांक-26.11.2026 से दिनांक-28.11.2026 तक अधीक्षण अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण अंचल, शोध भवन, खगौल, पटना के कार्यालय कक्ष में प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक होगी।
ख-यंत्रिक अभियंताओं की मौखिक परीक्षा दिनांक-26.11.2026 को अधीक्षण अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण अंचल, शोध भवन, खगौल, पटना के कार्यालय में प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक होगी।

परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपना प्रवेश-पत्र दिनांक-24.11.2026 को अधीक्षण अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण अंचल, खगौल, पटना के कार्यालय से कार्यावधि में हाथों-हाथ प्राप्त कर लें। परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिका, ड्राईंग सीट, ग्राफ पेपर एवं रफ पेपर की आपूर्ति विभाग द्वारा की जायेगी। परीक्षा में आलेख्य उपकरण एवं कैलकुलेटर परीक्षार्थियों को स्वयं लाना होगा। परीक्षा भवन में मोबाईल फोन वर्जित रहेगा।

Mmccy
03/11/2026
(महमूद आलम)

मुख्य अभियंता,

केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण,
जल संसाधन विभाग, अनिसाबाद, पटना।

महमूद
03/11/2026

जल संसाधन विभाग के असैनिक/याँत्रिक सहायक अभियंताओं का

प्रथम अर्द्धवार्षिक व्यवसायिक परीक्षा, 2026

परीक्षा का नाम :- प्रथम अर्द्धवार्षिक व्यवसायिक परीक्षा, 2026 असैनिक/याँत्रिक

फोटो

नियंत्री पदाधिकारी
द्वारा अभिप्रमाणित
मुहर के साथ।

1. परीक्षार्थी का नाम (हिन्दी में) :-

(अंग्रेजी में) :-

2. विभागीय आई0डी0 संख्या :-

3. पदनाम :-

4. जन्म तिथि :- / /

5. वर्तमान पदस्थापन :-

6. परीक्षा की तिथि :- से ।

7. पत्राचार का पता :-

8. मोबाईल नं० :-

8. Whatsapp No.:-

9. E-mail ID :-

दिनांक :- / /

आवेदक का हस्ताक्षर

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री, सहायक अभियंता, असैनिक/याँत्रिक में व्यवसायिक कार्य में दक्षता और अपने अधीनस्थ को सुव्यवस्थित करने की क्षमता है।

अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता
(हस्ताक्षर मुहर के साथ)

हस्ताक्षर का नमूना :-

हस्ताक्षर अभिप्रमाणित

(नियंत्री पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित मुहर के साथ)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती/सुश्री, सहायक अभियंता/अवर प्रमंडल पदाधिकारी, असैनिक/याँत्रिक ने अनुमंडलीय संख्याओं का संकलन एक माह से ज्यादा अवधि के लिए किया है। उन्हें माप पुस्तिकाओं की जाँच पड़ताल करना, विपत्र बनाना और योजनाओं या ठेकेदारों की बहियों तथा अन्य अनुमंडल बहियों एवं खतिहान के कार्यों का भी अनुभव है। ये प्रमंडलीय लेखाओं के संकलन का कार्य भी जानते हैं।

प्रमंडलीय लेखापाल
(हस्ताक्षर एवं मुहर)

प्रथम अर्द्धवार्षिक व्यवसायिक परीक्षा 2026
हेतु आवश्यक अनुदेश

1. परीक्षा प्रारम्भ होने से आधा घण्टा पूर्व परीक्षा भवन में अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे।
 2. परीक्षा प्रारम्भ होने के आधा घण्टा बाद परीक्षा कक्ष में किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
 3. परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में प्रवेश पत्र के अलावा और कोई कागजात नहीं लाना होगा।
 4. परीक्षा में आलेख उपकरण एवं कैलकुलेटर परीक्षार्थी को स्वयं लाना होगा।
 5. लिखित परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिका, ग्राफ पेपर, ड्राइंग सीट एवं रफ पेपर इत्यादि की आपूर्ति विभाग द्वारा की जायेगी।
 6. परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका परीक्षा कक्ष में वीक्षक/निरीक्षक को सौंपे बिना परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ेंगे।
 7. परीक्षार्थी परीक्षा प्रारम्भ होने के दो घण्टे बाद ही परीक्षा भवन से बाहर जा सकेंगे।
 8. परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में वीक्षक/निरीक्षक के समक्ष उपस्थिति पंजी पर अपना हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
 9. परीक्षा भवन में मोबाईल फोन या इससे जुड़े कोई भी उपकरण का उपयोग वर्जित होगा।
 10. यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा भवन में अनुचित तरीका अपनाते हुए या अपनाने का प्रयास करते हुये पाये जायेंगे तो वे वैसे दण्ड के भागी होंगे जो परीक्षा संचालन समिति द्वारा उचित समझा जायेगा।
 11. परीक्षार्थी को सरकार द्वारा जारी कोविड-19 के गाइडलाईन का अनुपालन करना होगा।
-